संख्या–991/चालीस–77-2/7/73

प्रेषक,

श्री गंगा राम,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 1977।

विषय :—अन्तरजातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये प्रोत्साहन देने की अन्तिम योजना।

महोदय,

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–2

शासकीय परिपत्र संख्या 2/7–73–रा0ए0की0, दिनांक 16 जुलाई, 1976 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहों को सक्रिय प्रोत्साहन देने की योजना का पूर्ण प्रारूप शासन द्वारा तैयार कर लिया गया है। अन्तर्जातीय विवाहितों में एक पक्ष का अनुसूचित जाति का होना, की मूल शर्त के साथ अब अन्तरधार्मिक विवाहों में दोनों पक्षों का केवल विवाह के पूर्व भिन्न-भिन्न धर्म के अनुयायी होने की शर्त रख दी गयी है। 1 अप्रैल, 1976 अथवा उसके बाद सम्पन्न हुये विवाहित जोड़ों को ही पुरस्कृत किये जाने पर विचार होगा। प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित नियमावली की एक प्रति संलग्न है। कृपया अपने जनपद में शासन के पत्रांक 2/7/73–रा0ए की0–दिनांक 21 अगस्त, 1976 (प्रतिलिपि संलग्न) से संभाग निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जांच करा कर आख्या अपनी संस्तुति सहित यहां भेजते रहें। नियमावली के पैरा–7 में उल्लिखित दस्तावेज आवेदन-पत्र के साथ लगाये जायेंगे। जिन जिला मजिस्ट्रेटों ने अब तक विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन-पत्रों की आवश्यक संवीक्षा कराकर दम्पत्तियों को पुरस्कार प्राप्त करने के लिये उन्हें यहां अग्रसारित कर दिया है, उनसे अनुरोध है कि वे पात्र दम्पत्ति से नवीन आवेदन-पत्र प्राप्त कराकर अपनी सिफारिश सहित शासन को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करा दें। जो आवेदन-पत्र पुरस्कार की संस्तुति के साथ भेजे जायं उनका पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में रखा जाय।

(2) पत्र की पावती भेजने की कृपा करें :

भवदीय,
गंगा राम,
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या–991(1)/चालीस–77-2/7/73, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
एन0राम0,
अन सचिव।